2010:CGHC:1057

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्रमांक 3094/ 2006</u>

<u>याचिकाकर्ता</u> - रमेश कुमार साहू

<u>बनाम</u>

<u>उत्तरवादीगण -</u> छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

<u>सहित</u>

रिट याचिका क्रमांक 3095, 3096, 3098, 3100, 3101, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3111, 3112, 3113, 3115, 3117, 3121, 3124, 3125, 3126, 3127, 3129, 3130, 3132, 3133, 3136, 3138, 3139, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3152, 3156/2006 एवं रिट याचिका (सेवा)क्रमांक 1321/2008.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को निर्णय की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

27/10/2010

2010:CGHC:1057

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3094/ 2006

याचिकाकर्ता : **रमेश कुमार साहू**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3095**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **प्रमोद मांझी**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3096**/ 2006**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : **किशन चंद यदु**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3098**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **विष्णु धर दीवान**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3100**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **योगेंद्र ठाकुर**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3101**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **राकेश सिंह ठाकुर**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3105**/ 2006**

2010:CGHC:1057

याचिकाकर्ता : **श्रीमती अनीता पांडे**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3106**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **शिवेश मिश्रा**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3107**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **श्रीमती नमिता पांडे**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3108**/ 2006**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : **संजीव दीवान**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3109**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **ओंकार लाल यादव**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3111**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **कृष्ण कुमार साहू**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3112**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **विधान तिवारी**

बनाम

2010:CGHC:1057

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3113**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **अविनाश शर्मा**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3115**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **नंद किशोर शर्मा**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3117**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **मनोज कुमार टंडन**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3121**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **राम नारायण यादव**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3124**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **मोहम्मद फकीरा खान**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3125**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **श्रीमती कोमल राव**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3126**/ 2006**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:1057

याचिकाकर्ता : **भोग नाथ पटेल**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3127**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **सोमन सिंह सोम**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3129**/ 2006**

याचिकाकर्ता : **परमेश्वर कुमार वर्मा**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3130**/ 2006**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : **भोज कुमार कुर्रे**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3132/ 2006

याचिकाकर्ता : **कृपा राम राणा**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3133/ 2006

याचिकाकर्ता : **सुनील सिंह ठाकुर**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3136/ 2006

याचिकाकर्ता : **टिकेंद्र कुमार बैस**

बनाम

2010:CGHC:1057

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3138/ 2006

याचिकाकर्ता : मोहम्मद अकील

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3139/ 2006

याचिकाकर्ता : अशोक कुमार पटेल

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3144/ 2006

याचिकाकर्ता : रमेश कुमार शर्मा

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3145/ 2006

याचिकाकर्ता : प्यारेलाल साहू

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3146/ 2006

याचिकाकर्ता : अरविंद कुमार हुमने

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3147/ 2006

याचिकाकर्ता : राम सहाय साहू

बनाम

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

रिट याचिका क्रमांक 3148/ 2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:1057

याचिकाकर्ता : **लक्ष्मी नाथ शर्मा**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3149/ 2006

याचिकाकर्ता : **नरेश बैस**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3150/ 2006

याचिकाकर्ता : **नरेंद्र किशोर कानूनगो**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3152/ 2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : **रवि प्रसाद शर्मा बनाम**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 3156/ 2006

याचिकाकर्ता : **पूर्णेंद्र कुमार कश्यप**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

रिट याचिका क्रमांक 1321/ 2008

याचिकाकर्ता : **सेवक राम हरदेल**

बनाम

उत्तरवादीगण **छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका

उपस्थित:

संबंधित याचिकाकर्तागण की ओर से श्री मृगेंद्र सिंह, श्री पी.आर. पाटनकर, श्री मनीष निगम, श्री आनंद दादरिया, श्री आशीष सुराणा, श्री प्रतीक शर्मा और सुश्री सुनीता जैन, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप-शासकीय अधिवक्ता।

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड एवं स्टाफ उप-समिति, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड की ओर से श्री एस.सी. वर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी- राधेश्याम शर्मा की ओर से श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

निर्णय

(28 अक्टूबर, 2010 को पारित)

1. याचिकाओं का यह समूह अर्थात रिट याचिका क्रमांक 3094, 3095, 3096, 3098, 3100, 3101, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3111, 3112, 3113, 3115, 3117, 3121, 3124, 3125, 3126, 3127, 3129, 3130, 3132, 3133, 3136, 3138, 3139, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3152, 3156/2006 एवं रिट याचिका क्रमांक 1321/2008 में समान तथ्य और विधि का समान प्रश्न सम्मिलित है कि क्या याचिकाकर्तागण की पदोन्नति इस आधार पर निरस्त की जा सकती है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड, रायपुर (जिसे आगे 'बैंक' कहा जाएगा) की स्टाफ उप समिति के सदस्यों और अध्यक्ष के विरुद्ध याचिकाकर्तागण को सुनवाई का अवसर दिए बिना पदोन्नति के संबंध में अधिरोपित अनियमितताओं के आरोप सिद्ध पाए गए हैं।

2010:CGHC:1057

2. याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निर्विवाद तथ्य, संक्षेप में, यह है कि याचिकाकर्ता उत्तरवादी बैंक के कर्मचारी हैं। जैसा कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने कहा है, उन्हें नियमित आधार पर भृत्य, कनिष्ठ लिपिक, पर्यवेक्षक, सेल्समैन, सहायक लेखाकार, शाखा प्रबंधक और समिति प्रबंधक के पदों पर नियुक्त किया गया था। उत्तरवादी बैंक के प्रबंधन ने उच्च पद पर पदोन्नति के लिए कर्मचारियों के मामलों पर विचार करने हेतु एक स्टाफ उप समिति का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष, तीन सदस्य और प्रबंध निदेशक, स्टाफ उप समिति के सचिव के रूप में सम्मिलित थे। भृत्य से कनिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक से सहायक लेखाकार, सहायक लेखाकार से शाखा प्रबंधक, पर्यवेक्षक से शाखा प्रबंधक, सेल्समैन से समिति प्रबंधक, समिति प्रबंधक से पर्यवेक्षक, शाखा प्रबंधक से अतिरिक्त मुख्य लेखाकार, शाखा प्रबंधक से अतिरिक्त विक्रय अधिकारी और शाखा प्रबंधक से जमा संग्रहण अधिकारी के पद पर नियुक्ति की गई। कर्मचारी उप समिति ने विभिन्न तिथियों अर्थात 27.7.2004, 17.09.2004, 11.10.2004 को 177 कर्मचारियों के मामलों पर विचार किया और याचिकाकर्तागण को उच्च पदों पर पदोन्नत करने का निर्णय लिया। तदनुसार, क्रमशः दिनांक 20.07.2004, 17.09.2004, 01.10.2004, 11.10.2004 के आदेश द्वारा, याचिकाकर्तागण को एक वर्ष की परिवीक्षा पर पूर्वोक्त अनुसार उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया। इस बीच, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे 'अधिनियम, 1960' कहा जाएगा) की धारा 53-ख के तहत बैंक के अध्यक्ष-सह-अध्यक्ष और सचिव सहित कर्मचारी उप समिति के अन्य सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। परिणामस्वरूप, दिनांक 20.06.2005 को आदेश पारित किया गया (रिट याचिका क्रमांक 3094/2006 के अनुलग्नक पी/6)

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जिसमें कहा गया कि कर्मचारी उप समिति ने पदोन्नति की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है क्योंकि कुछ नियुक्तियां नई नियुक्तियां थीं। इस प्रकार, नियुक्ति और पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया दूषित हो गई। तदनुसार, अध्यक्ष और कर्मचारी उप समिति के सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए उत्तरवादी बैंक के तहत कोई भी पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा मूल रूप से धारित पद, पदोन्नत पद और पदोन्नति की तिथि का विवरण निम्नानुसार है:

रिट याचिका क्रमांक	**याचिकाकर्ता का नाम**	**मूल पद याचिकाकर्ता द्वारा धारित।**	**पदोन्नत किया गया पद**	**पदोन्नति तिथि**	**अनुलग्नक**
3094/2006	रमेश कुमार साहू	सेल्समेन	समिति प्रबंधक	17.09.2004	P/2
3095/2006	प्रमोद मांझी	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2
3096/2006	किशन चंद यदु	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	01.10.2004	P/2
3098/2006	विष्णुधर दीवान	पर्यवेक्षक	शाखा प्रबंधक	01.10.2004	P/2
3100/2006	योगेन्द्र ठाकुर	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2
3101/2006	राकेश सिंह	सहायक लेखाकार	शाखा प्रबंधक	01.10.2004	P/2

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

	ठाकुर				
3105/2006	श्रीमती अनीता पांडे	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2
3106/2006	शिवेश मिश्रा	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2
3107/2006	श्रीमती नमिता पांडे	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	01.10.2004	P/2
3108/2006	संजीव दीवान	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2
3109/2006	ओंकार लाल यादव	सेल्समेन	समिति प्रबंधक	11.10.2004	P/2
3111/2006	अविनाश शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	11.10.2004	P/2
3112/2006	कृष्ण कुमार साहू	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2
3113/2006	विधान तिवारी	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2
3115/2006	नंद किशोर शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3117/2006	मनोज कुमार टंडन	भृत्य	कनिष्ठ लिपिक	20.07.2004	P/2
3121/2006	मोहम्मद फकीरा खान	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2
3124/2006	श्रीमती कोमल राव	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2
3125/2006	रामनारायण यादव	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	01.10.2004	P/2
3126/2006	भोग नाथ पटेल	शाखा प्रबंधक	अपर मुख्य लेखाकार	20.07.2004	P/2
3127/2006	सोमन सिंह सोम	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2
3129/2006	परमेश्वर वर्मा	सहायक लेखाकार	शाखा प्रबंधक	01.10.2004	P/2
3130/2006	भोज कुमार कुर्रे	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	01.10.2004	P/2
3132/2006	कृपा राम राणा	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2
3133/2006	सुनील सिंह ठाकुर	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3136/2006	टिकेन्द्र कुमार बैस	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	01.10.2004	P/2
3138/2006	मोहम्मद अकील	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2
3139/2006	अशोक कुमार पटेल	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2
3144/2006	रमेश कुमार शर्मा	सहायक लेखाकार	शाखा प्रबंधक	20.07.2004	P/2
3145/2006	प्रिय लाल साहू	समिति प्रबंधक	पर्यवेक्षक	20.07.2004	P/2
3146/2006	अरविंद कुमार हुमने	सहायक लेखाकार	शाखा प्रबंधक	20.07.2004	P/2
3147/2006	रामसहाय साहू	समिति प्रबंधक	पर्यवेक्षक	01.10.2004	P/2
3148/2006	लक्ष्मी नाथ	शाखा प्रबंधक	अतिरिक्त विक्रय अधिकारी	20.07.2004	P/2
3149/2006	नरेश बैस	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2
3150/2006	नरेंद्र किशोर	कनिष्ठ लिपिक	सहायक लेखाकार	20.07.2004	P/2

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:1057

	कानूनगो				
3152/2006	रवि प्रसाद शर्मा	सहायक लेखाकार	शाखा प्रबंधक	20.07.2004	P/2
3156/2006	पूर्णेंद्र कुमार कश्यप	सहायक लेखाकार	शाखा प्रबंधक	11.10.2004	P/2
1321/2008	सेवक राम हरदेल	शाखा प्रबंधक	जमा संग्रहण अधिकारी	20.07.2004	P/3

3. उत्तरवादी बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा याचिकाकर्तागण को दिनांक 03.05.2006 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया गया था (रिट याचिका क्रमांक 3094/2006 का अनुलग्नक पी/10), जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्तागण की पदोन्नति दिनांक 20.06.2005 के आदेश द्वारा निरस्त कर दी गई है। नोटिस में आगे कहा गया था कि वे अपना मामला रखने के लिए दिनांक 06.05.2006 से 09.05.2006 तक कर्मचारी उप समिति के समक्ष उपस्थित हों। इसके बाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिनांक 10.05.2006 को (रिट याचिका क्रमांक 3094/2006 का अनुलग्नक पी/16) आक्षेपित आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि उच्च पद पर उनकी पदोन्नति अनियमित थी और इस प्रकार, पदोन्नतियाँ निरस्त कर दी गईं और याचिकाकर्तागण को उनके मूल पदों पर वापस भेज दिया गया, जहाँ से उन्हें पदोन्नत किया गया था। इस प्रकार, यह याचिका प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2010:CGHC:1057

4. संबंधित याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मृगेंद्र सिंह, श्री पी.आर.पाटनकर और श्री प्रतीक शर्मा ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें नोटिस जारी करने से पहले ही, याचिकाकर्तागण को कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले ही अध्यक्ष और कर्मचारी उप समिति के सदस्यों के विरुद्ध कुछ जांच के आधार पर पदोन्नति निरस्त करने और उन्हें उनके मूल पद पर वापस करने का निर्णय लिया गया है। याचिकाकर्तागण को यह मामला रखने के लिए सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया कि उनकी पदोन्नति अवैध या अनियमित नहीं थी। इस प्रकार, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण आक्षेपित आदेश का उल्लंघन होता है। उत्तरवादी बैंक के अध्यक्ष के परिवर्तन के कारण याचिकाकर्तागण को बलि का बकरा बनाया गया है, जिसे बाद में उत्तरवादी क्रमांक 5 द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया।। इस प्रकार, विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, याचिकाकर्तागण को वापस करने की आक्षेपित कार्यवाही की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, राज्य शासन की ओर से उपस्थित विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता श्री भाटिया ने तर्क दिया कि पदोन्नति आदेश को निरस्त करने और याचिकाकर्तागण को मूल पद पर वापस करने का निर्णय, नोटिस जारी होने से पहले ही लिया गया था। यह पूर्व-निर्णय, अधिनियम, 1960 की धारा 53-बी(1) के प्रावधानों के तहत स्टाफ उप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध की गई जाँच के आधार पर लिया गया था।

6. इसके विपरीत, उत्तरवादी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस.सी. वर्मा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्तागण ने अधिनियम, 1960 की धारा

2010:CGHC:1057

77 के प्रावधानों के तहत वैकल्पिक वैधानिक उपाय का लाभ उठाए बिना ही इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस प्रकार, सभी रिट याचिकाओं को विचारणीय न मानते हुए खारिज किया जा सकता है। दूसरा, चूँकि सहकारी समितियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा स्टाफ उप समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के विरुद्ध दिनांक 20.06.2005 को पारित आदेश, जिसके आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, चुनौती के अधीन नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष के हकदार नहीं हैं। याचिकाकर्तागण को दिनांक 03.05.2006 को नोटिस जारी किया गया था और सभी याचिकाकर्ता दिनांक 06.05.2009 से 09.05.2006 तक उत्तरवादी बैंक की स्टाफ उप समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना मौखिक निवेदन और लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश न्यायसंगत, उचित और विधिसम्मत हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरवादी-मोहम्मद अकबर, उत्तरवादी-बैंक के अध्यक्ष, उपस्थित नहीं हुए, तथापि, उत्तरवादी-बैंक और उत्तरवादी-स्टाफ उप समिति द्वारा दिनांक 17.08.2006 को दाखिल किए गए विवरण को स्वीकार कर लिया गया।

8. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, उनके साथ संलग्न तर्कों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्तागण की नियुक्ति प्रारंभ में नियमित आधार पर की गई थी, जैसा कि पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं ने कहा है।

9. इसमें कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 10.05.2006 का आक्षेपित आदेश दिनांक 20.06.2005 के आदेश के आधार पर पारित किया गया था, जिसमें

अध्यक्ष और स्टाफ उप समिति के सदस्यों द्वारा की गई अनियमितताओं के आरोप सिद्ध पाए गए थे। इसके अतिरिक्त, इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि स्टाफ उप समिति के विरुद्ध की गई जाँच में याचिकाकर्तागण की कोई भूमिका नहीं है। याचिकाकर्ता साक्षियों या अन्यथा की हैसियत से उपस्थित नहीं हुए, और उन्हें अपना पक्ष रखने और दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला। पदोन्नति आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि पदोन्नति आदेश विधि के अनुसार पारित किया गया था। इस प्रकार, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि उस स्थिति में भी, जिन याचिकाकर्तागण पर स्टाफ उप समिति द्वारा पदोन्नति हेतु विधिवत विचार किया गया और उनका चयन किया गया, उन्हें सिविल (दुष्प्रभावी) परिणामों वाले आक्षेपित आदेश पारित होने से पहले सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. याचिकाकर्तागण को जारी दिनांक 03.05.2006 का नोटिस किसी भी तरह से कारण बताओ नोटिस नहीं माना जा सकता, जैसा कि इस न्यायालय ने *दुर्गेश प्रसाद सिन्हा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य*[1] मामले में कहा था।

11. उत्तरवादी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्तागण की पदोन्नति निरस्त करने और उन्हें मूल पद पर वापस करने का पूर्व-निर्णय लिया है, इसलिए, दिनांक 07.08.2009 को निर्णीत रिट याचिका क्रमांक 3012/2009 एवं अन्य संबंधित मामलों के संबंध में जारी नोटिस और उसका उत्तर, किसी भी मायने में सुसंगत नहीं है। दिनांक 03.05.2006 का नोटिस इस प्रकार है:

"विषय - व्यक्तिगत सुनवाई बाबत ।

1 W.P (S) No. 3012 of 2009 & Other connected matters, decided on 07.08.2009

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेश क्रमांक / साख-1/05/3010 रायपुर, दिनांक 20-06-2005, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, के अनुसार बैंक में आपकी "कनिष्ठ लिपिक" पद पर पदोन्निति को नियमों के विरूद्ध ठहराते हुए उसे निरस्त किए जाने हेतु बैंक को आदेशित किया गया है। उक्त संबंध में बैंक के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 02-05-2006 में पंजीयक महोदय के आदेशानुसार कार्रवाही किए जाने का निर्णय लेकर बैंक की स्टाफ सब कमेटी को अधिकृत किया गया है।

बैंक की स्टाफ उप समिति की बैठक दिनांक 02-05-2006 में इस संबंध में आपकी व्यक्तिगत सुनवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः एतद् आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 08-05-2006 को दोपहर 12 बजे स्टाफ उप समिति के समक्ष अपना पक्ष लिखित और / अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके अनुपस्थित रहने पर या अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर आपके प्रकरण पर नियमानुसार आगे की कार्रवाही की जावेगी।"

(बल दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना, मैं ऐसे मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की मूलभूत आवश्यकता पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूँ जहाँ निर्णय पहले ही हो चुका है और उसके बाद नोटिस जारी किया गया है।

13. *श्री बी.डी.गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य*[2] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस की प्रकृति के मामले पर निम्नलिखित रूप से विचार किया है:

"9...हमारे विचार से, "कारण बताओ नोटिस" में नोटिस के उचित दायरे का उल्लेख होना आवश्यक है और साथ ही उन बिंदुओं का भी उल्लेख होना चाहिए जिन पर संबंधित अधिकारी से उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है।"

2(1973) 3 SCC 149

14. *के.आइ.शेफर्ड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य*[3] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

> "12....इन प्राधिकारों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि जब कोई राज्य एजेंसी प्रशासनिक रूप से कार्य करती है, तब भी नैसर्गिक न्याय के नियम लागू होंगे। जैसा कि कहा गया है, नैसर्गिक न्याय के लिए सामान्यतः यह आवश्यक है कि प्रस्तावित प्रशासनिक कार्यों, निर्णयों या कार्यवाहियों से सीधे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित कार्यवाहियों की पर्याप्त सूचना दी जाए ताकि वे (क) अपनी ओर से अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकें; (ख) या किसी सुनवाई या जाँच (यदि हो) में उपस्थित हो सकें; और (ग) प्रभावी ढंग से अपना पक्ष तैयार कर सकें और उस मामले (यदि कोई हो) का उत्तर दे सकें जिसका उन्हें सामना करना है।
>
> 15. निष्पक्षता लोक नीति का एक अंग है और नागरिकों के लिए न्याय की प्रतिभूति है। हमारी विधि-शासन प्रणाली में, शक्ति प्राप्त प्रत्येक सामाजिक एजेंसी से निष्पक्षतापूर्वक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है ताकि सामाजिक कार्य न्यायसंगत हो और नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा मिले। नैसर्गिक न्याय के नियम सभ्यता के विकास के साथ विकसित हुए हैं और उनकी विषयवस्तु को अक्सर समुदाय में प्रचलित सभ्यता और विधि-शासन के स्तर का उचित माप माना जाता है। सामाजिक ढाँचे के भीतर मनुष्य सदियों से समुदाय में निष्पक्षता की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3(1987) 4 SCC 431

2010:CGHC:1057

अवधारणा को स्थापित करने में कई वर्षों का समय लगा है और सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में नैसर्गिक न्याय के नियमों को वैचारिक रूप से स्थापित होने में कई वर्ष लग गए हैं। हमें नहीं लगता कि मामले के तथ्यों को देखते हुए यह मानने का कोई औचित्य है कि समय सीमा के कारण आवश्यक निहितार्थों के कारण नैसर्गिक न्याय के नियमों को हटा दिया गया है। दूसरी ओर, हमारा यह मत है कि विधि द्वारा सीमित समय, योजना को अंतिम रूप देने से पहले, इच्छित बहिष्कृत कर्मचारियों को अवसर प्रदान करने की संभावना प्रदान करता है ताकि कर्मचारियों के एक वर्ग को रोज़गार से बाहर करने से पहले स्थिति के अनुरूप सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16....जिन कारणों का हमने उल्लेख किया है, उनके आधार पर निर्णय-पश्चात सुनवाई के विषय में सोचने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी ओर, सामान्य नियम लागू होना चाहिए। उत्तरवादियों की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि बहिष्कृत कर्मचारी अब अपना पक्ष रख सकते हैं और उनके मामलों की जाँच की जा सकती है। हमें नहीं लगता कि इससे न्याय की पूर्ति होगी। उन्हें पहले ही रोजगाार से हटा दिया गया है और आजीविका से वंचित होने के कारण उन्हें गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा। उन्हें रोजगाार से निकालने और फिर उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि आवश्यकता यह है कि उन्हें कार्यवाही की पूर्व शर्त के रूप में ऊपर उल्लिखित अवसर मिलना चाहिए। यह सामान्य अनुभव है कि एक बार निर्णय हो जाने के बाद, उसे यथावत रखने की प्रवृत्ति होती है और ऐसा प्रतिनिधित्व वास्तव में कोई सार्थक उद्देश्य प्रदान नहीं कर सकता है।"

2010:CGHC:1057

15. उपरोक्त मामले में निर्धारित अनुपात को *वी.सी. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं अन्य बनाम श्रीकांत*[4] के मामले में अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया था, जिसमें इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

> "33. इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि कुलपति ने अपने नोटिस में स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि उन्होंने अपना मन बना लिया था। वे स्पष्ट रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि उत्तरवादी ने कदाचार किया है और इसलिए, यह सूचित किया जाना चाहिए कि उनका नोटिस केवल औपचारिकता के लिए जारी किया गया था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. *राजेश कुमार एवं अन्य बनाम उप आयकर आयुक्त एवं अन्य*[5] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "26. किसी विधि के अंतर्गत लिज के निर्धारण से उत्पन्न होने वाले नागरिक परिणामों के प्रभाव का उल्लेख *उड़ीसा राज्य बनाम डा. बीनापानी देई के* मामले में किया गया है। यह इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकार है कि जब किसी संविधिक प्राधिकारी की ओर से की गई कार्यवाही के कारण नागरिक या बुरे परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में, यद्यपि इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन अंतर्निहित होगा। किसी

4(2006) 11 SCC 42

5(2007) 2 SCC 181

संविधि में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन की स्थिति में, उसे संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत भी अधिकारातीत माना जा सकता है।"

17. *के.आई.शेफर्ड* के मामले में प्रतिपादित विधि को बाद के निर्णयों में लगातार अनुमोदन के साथ संदर्भित किया गया है। (देखें: *सीमेंस लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य*[6], देव दत्त बनाम भारत संघ एवं अन्य[7], पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य एवं अन्य[8], वी. अशोकन बनाम सहायक आबकारी आयुक्त एवं अन्य[9])।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. पूर्वोक्त विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, वर्तमान मामलों में, नए अध्यक्ष अर्थात उत्तरवादी क्रमांक 5-मोहम्मद अकबर की नियुक्ति के बाद, तत्कालीन अध्यक्ष श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध जाँच शुरू की गई, जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष श्री राधेश्याम शर्मा द्वारा की गई कथित अनियमितताएँ सिद्ध पाई गईं। याचिकाकर्तागण को यह बताने के लिए सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया कि उनकी नियुक्ति विधि के अनुरूप कैसे नहीं थी, क्योंकि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियम, 1982 के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में कहा गया है, दिनांक 03.05.2006 का नोटिस मात्र एक औपचारिकता थी, क्योंकि याचिकाकर्तागण की पदोन्नति निरस्त करने और उन्हें उनके मूल पदों पर वापस भेजने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, जहाँ से उन्हें पदोन्नत

6(2006) 12 SCC 33
7(2006) 8 SCC 725
8(2009) 13 SCC 55
9(2009) 14 SCC 85

किया गया था। इस प्रकार, दिनांक 10.05.2006 का आक्षेपित आदेश (सभी रिट याचिकाओं में), नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के कारण विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है।

19. *अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य*[10] मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "34. यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ नियुक्ति अनियमित थी। यदि कोई नियुक्ति अनियमित है, तो उसे नियमित किया जा सकता है। न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी अनियमितता को गंभीरता से नहीं ले सकता। लेकिन अगर कोई नियुक्ति अवैध है, तो वह विधि की दृष्टि में शुन्य है, जिससे नियुक्ति अमान्य हो जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इन मामलों में, यह स्पष्ट नहीं है कि कोई अनियमितता या अवैधता थी या नहीं, क्योंकि आदेश में भी यह पाया गया है कि अनियमितता थी, जिसे नियमित किया जा सकता है।

21. कुछ रिट याचिकाओं में, अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, रायपुर द्वारा पारित दिनांक 20.06.2005 के आदेश को चुनौती दी गई है। मेरा यह सुविचारित मत है कि तत्कालीन अध्यक्ष एवं कर्मचारी उप समिति के सदस्यों की ओर से चुनौती न दिए जाने के कारण इस पर विचार नहीं किया जा सकता

10(2007) 4 SCC 54

और इसकी वैधता पर निर्णय नहीं दिया जा सकता। उक्त आदेश मुख्यतः तत्कालीन अध्यक्ष एवं कर्मचारी उप समिति के सदस्यों के विरुद्ध है।

22. उपर्युक्त कारणों और विश्लेषण के आधार पर, दिनांक 10.05.2006 का आक्षेपित आदेश (सभी रिट याचिकाओं में) निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, सभी रिट याचिकाएँ ऊपर उल्लिखित सीमा तक स्वीकार की जाती हैं।

23. तथापि, उत्तरवादी-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर, उत्तरवादी-बैंक को, यदि ऐसा परामर्श दिया जाए, तो विधि के अनुसार उचित कार्यवाही करने की छूट है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

2010:CGHC:1057

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Aniruddha Shrivastava, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur